



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श10)
(सं0 पटना 475) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

एस० ओ० 152, दिनांक 10 अगस्त 2020— बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 117, दिनांक 06 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 274, दिनांक 06 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पांचवां परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य, केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है, अगस्त, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-3ए में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 1 अक्टूबर, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य, उत्तराखंड राज्य, हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, सिक्किम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य,

नागालैंड राज्य, मणिपुर राज्य, मिजोरम राज्य, त्रिपुरा राज्य, मेघालय राज्य, असम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, झारखंड राज्य या ओडिशा राज्य, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है, अगस्त, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ब में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 3 अक्टूबर, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।” ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-10)1355)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

10 अगस्त 2020

एस० ओ० 152, दिनांक 10 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-10) 1355)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 10th August 2020

S.O. 152, Dated 10th August 2020— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017(hereafter in this notification referred to as the said Rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 117, dated the 06th May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 274, dated the 06th May, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the fifth proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of August, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 1st day of October, 2020:

Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of August, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 3rd day of October, 2020.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10)1355)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 475-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>